अन्तर्राज्यीय हनीट्रैप गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार

-पहले फेसबुक पर लड़की के नाम से भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट

-फिर क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर किया गया धमकाया गया

- तीन अभियुक्तों को क्राइम ब्रांच की टीम ने दबोचा

- अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली टीम को 5 हजार का इनाम

कानपुर। पहले युवती बनकर फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर लेकर वीडियो कॉल करना, वीडियो कॉल रिसीव होते ही उनका अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने वाले गैंग को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक की जांच में अभियुक्तों द्वारा कई लोगों को ठगने का मामला सामने आ रहा है। पुलिस टीम अभियुक्तों से पूछताछ कर विधिक कार्रवाई कर रही है।

घटनाक्रम के मुताबिक गुजैनी थाना गोविन्दनगर निवासी व्यक्ति के पास दिनांक 16.06.2021 को रात्रि मे अंजली मेहता के नाम से फेसबुक पर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भेज कर आवेदक से व्हाटस्एप नम्बर माग कर वीडियों कॉल व चेटिंग की गयी उसके उपरान्त उक्त महिला द्वारा आवेदक को धोखा देकर उसकी 04 अशलील वीडियो बनाकर आवेदक के पास भेजे गये, आवेदक द्वारा वीडियो देख कर डिलीट कर दिये गये उसके बाद दिनांक 17.06.2021 को आवेदक के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर धमकी भरे शब्दों मे आवेदक से धन की मांग की गयी और कहा गया कि रुपये न देने पर आवेदक के 04 वीडियों यू-ट्यूब पर वायरल करने की धमकी दी गयी थी जो कि आवेदक के साथ बदनियत एंव धन उगाही के लिये बनाये गये थे फिर उन वीडियों को डिलीट करने के लिये आवेदक से प्रति वीडियो 15500/-रुपये की मांग की गयी थी जो आवेदक द्वारा दिनांक 17/18.06.2021 को लगभग 65 हजार रुपये जालसाजों के बैंक खाता मे भेजे गये।

पुनः दिनांक 19.06.2021 को आवेदक से फोन कर क्राइम ब्रान्च का अधिकारी बनकर 160000/- रुपये की मांग की गयी जो कि आवेदक द्वारा सम्बन्धित बैंक खाते मे डाले गये। दिनांक 20.06.2021 को 50 हजार रुपये यह कहकर मांगे गये की हमें जरुरत है और हम तुम्हारे केस को पूर्ण रुप से समाप्त कर देगे जो कि आवेदक द्वारा सम्बन्धित के बैंक खाता मे डाले गये। उसके बाद आवेदक के पास फ्रॉडिस्टर (क्राइम

ब्रान्च अधिकारी) का फोन आया कि हम लोग लडकी को पकडने गये थे जो कि छत से कूद गयी थी जिसे अस्पताल मे भर्ती कराया गया था जिसकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गयी थी। लडकी की मृत्यु होने से पहले उसने आवेदक व अन्य व्यक्तियों का नाम लिया था। उसके बाद आवेदक से फ्रॉडिस्टर (क्राइम ब्रान्च अधिकारी) द्वारा कहा गया कि लडकी के माता पिता से समझौता करने हेतु 09 लाख रुपयों की मांग और की गयी जो कि आवेदक द्वारा सम्बन्धित बैंक खाते मे डाले गये। पुनः आवेदक से केस खत्म करने के लिये रुपये मांगे जाने पर आवेदक द्वारा 06 लाख रुपये डाले गये। आवेदक के पास फोन आया कि इतने से बात नही बनेगी मामला जटिल हो गया है मैने बडे अधिकारी से वात की है आप तुरन्त 07 लाख रुपये भेजो जे कि आवेदक द्वारा दिनांक 28.06.2022 को सम्बन्धित बैंक खाते मे डाले गये पुनः आवेदक के पास फोन कर रुपयो की मांग की गयी जो कि आवेदक द्वारा अलग अलग दिनांक को अलग-अलग सम्बन्धित बैंक खाते मे कुल धनराशि 28,74,300/- रुपये डाले गये उसके वाद भी आवेदक के पास फोन आने लगे की और रुपये दो तब आवेदक को पता चला कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। उसके वाद आवेदक द्वारा साइबर सेल कानपुर नगर मे आकर उक्त प्रकरण से सम्बन्धित एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया तथा समबन्धित थाना गोविन्दनगर कानपुर नगर मे मु0अ0सं0-44/2022 धरा-420/507 भादवि व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया।

साइबर सेल मे पंजीकृत शिकायत/थाना गोविन्दनगर मे पंजीकृत अभियोग के आधार पर आवेदक से बैंक खाता व मोबाइल नम्बरों के विवरण प्राप्त कर की गयी कार्यवाही के आधार पर आज दिनांक 02.01.2023 को 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य अभियुक्तों की तलाश में क्राइम ब्रांच/साइबर सेल की टीमो द्वारा अन्य राज्यों में गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01-अशोक कुमार पुत्र वीर सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम भिण्डवास थाना बेरी जिला झज्जर हरियाणा राज्य।

02- भगवत प्रसाद पुत्र किशोरी लाल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट पैंठा थाना गोवर्धन जिला मथुरा।

03-सोनू पुत्र महेश उम्र 30 बर्ष निवासी रामनगर जगदीशपुरा थाना जगदीशपुरा जिला आगरा।

अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक रोहित तिवारी प्रभारी ऑपरेशनल साइबर सेल, हे0का0 प्रकाश पाल सर्विलांस सेल, का0 राजीव कुमार साइबर सेल, का0 जितेन्द्र कुमार साइबर सेल,आरक्षी चालक प्रवीण कुमार क्राइम ब्रान्च शामिल रहे।

गिरफ्तार करने वाली टीम को डीसीपी अपराध द्वारा 05 हजार रुपये का इनाम दिया गया है।